कार्यालय, अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना
E-mail ID-secadcsone@gmail.com

पत्रांक– क0क्षे0वि0अं0 / 49 / 2020(Part-II) / पटना, दिनांक– /10/2026

प्रेषक,

ई0 राजीव कुमार,
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल, सोन भवन, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पीछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम,
चतुर्थ तल, सोन भवन, पटना।

विषयः– **सोन भवन स्थित आपके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र का एकरारनामा तथा किराया, रख–रखाव शुल्क का भुगतान पुनर्निर्धारित दर पर करने अन्यथा अधिग्रहित क्षेत्र को हरहाल में खाली करने के संबंध में।**

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–187 / क0क्षे0वि0अं0 दिनांक–31.12.2020, पत्रांक–14 / क0क्षे0वि0अं0 दिनांक–14.01.2021, पत्रांक–234 दिनांक–24.01.2022, पत्रांक–383 दिनांक–24.08.2022, पत्रांक–177 दिनांक–30.09.2023, एवं पत्रांक–198 दिनांक–08.11.2023, आपका पत्रांक–860 दिनांक–22.12.2023, पत्रांक–27 / क0क्षे0वि0अं0 दिनांक–07.03.2025, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–17 दिनांक– 22.01.2026, आपके अपर मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष महोदय का पत्रांक–16–95 / 563 दिनांक–17.08.2026 एवं माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1221 / का0 दिनांक–15.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सूचित करना है कि सोन भवन / सोन एनेक्सी भवन एवं सोन भवन अवस्थित खाली परिसर के लिये नया किराया नीति अन्तर्गत दिनांक–01.02.2021 के प्रभाव से नया किराया दर एवं Maintenance Charge लागू है, जिसके संबंध में प्रासंगिक पत्रों द्वारा आपको संसूचित की जा चुकी है।

आपके पत्रांक–860 दिनांक–22.12.2023 द्वारा सूचित किया गया कि BBC Case No. 20 / 2021 में माननीय न्यायालय, गृह नियंत्रक–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना द्वारा पारित आदेश के पुनर्विचार हेतु आपके कार्यालय द्वारा In the Court of Collector-cum-Appellant Authority, Patna के समक्ष अपील सं0–34 of 2023/2024 दायर की गई है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

आपके द्वारा माननीय न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना के यहॉ दायर बी0बी0सी0 अपील वाद सं0–34 / 2022–23 में दिनांक–04.09.2024 को पारित न्याय निर्णय में कहा गया है कि "अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन पोषनीय नहीं है। गृह नियंत्रक –सह– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के द्वारा दिनांक–16.07.2022 को पारित आदेश यथोचित है, जिसे संपुष्ट करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।" आदेश की छायाप्रति आपको अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक–27 दिनांक–07.03.2025 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

पुनर्निर्धारित किराया दर एवं रख–रखाव शुल्क के अनुसार आपके द्वारा संयुक्त मापी प्रतिवेदन के अनुसार अधिग्रहित 2991.30 वर्गफीट क्षेत्र **(छायाप्रति संलग्न)** का माह अक्टूबर, 2026 तक अंतर किराया इत्यादि के मद में कुल रू0 2,25,20,928.87 मात्र बकाया है। आपके द्वारा मनमाने ढंग से एवं असमय किराये का भुगतान अत्यन्त अल्प दर पर यानि दिनांक–01.02.1996 के दर रू0 6.40 प्रति वर्गफीट पर माह जुलाई, 2026 तक ही किया गया है, जो खेदजनक है। आप अवगत हैं कि किराया एवं रख–रखाव शुल्क के आय से ही कार्यरत कर्मियों के वेतनादि, भवन का रख–रखाव, लिफ्ट का संपोषण एवं जेनरेटर का संपोषण इत्यादि का कार्य किया जाता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का आवंटन सरकार से प्राप्त नहीं होता है।

आपके कार्यालय को बार–बार मौखिक एवं लिखित सूचना देने के बावजूद अबतक न तो पुनर्निर्धारित किराया इत्यादि दर पर एकरारनामा करते हुए किराया का भुगतान किया जा रहा है न तो बकाया का भुगतान करते हुए अधिग्रहित क्षेत्र को खाली किया जा रहा है। आप अवगत हैं कि किराया इत्यादि का भुगतान प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से करना है तथा बकाया भुगतान हेतु नोटिस देने पर यदि भुगतान में विलम्ब होता है तो बकाया राशि पर 1% प्रतिमाह चक्रवृद्धि ब्याज देय है।

आपके अपर मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय के प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में सोन भवन के चतुर्थ तल पर किराया पर कार्यरत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कार्यालय हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्न आदेश प्राप्त हुआ है :–

1. सोन भवन के चतुर्थ तल पर बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कार्यालय द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र 2991.30 वर्गफीट कारपेट एरिया के लिए दिनांक–01.02.2021 से कार्यालय आदेश ज्ञापांक–129 दिनांक–22.08.2023 द्वारा पुनर्निर्धारित शर्त्तों पर एक माह के अन्दर सहमति प्राप्त करते हुए एकरारनामा कर बकाया किराया एवं रख–रखाव शुल्क का भुगतान तीन माह के अन्दर प्राप्त किया जाये।
2. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा दिनांक–01.02.2021 से पुनर्निर्धारित शर्त्तें मान्य नहीं होने की स्थिति में बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करते हुए अधिग्रहित क्षेत्र को तीन माह के अन्दर हर हाल में खाली कराया जाये।

अतः उक्त प्राप्त आदेश के अनुपालन में आपको अंतिम नोटिस दिया जा रहा है कि पुनर्निर्धारित शर्त्तों पर अपनी सहमति एवं बकाया किराया इत्यादि का भुगतान उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर करते हुए एकरारनामा प्रारूप में निहित प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब एकरारनामा करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आपको देय सुविधाओं को बंद करते हुए बकाया किराया इत्यादि की वसूली एवं आपके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र को खाली कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाये।

अनु0:– यथावत्।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल,
सोन भवन, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0/49/2020(Part-II)/ पटना, दिनांक– /10/2026

प्रतिलिपि– वित्त परामर्शी–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चतुर्थ तल, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल,
सोन भवन, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0/49/2020(Part-II)/ पटना, दिनांक– /10/2026

प्रतिलिपि– माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चतुर्थ तल, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल,
सोन भवन, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0/49/2020(Part-II)/ पटना, दिनांक– /10/2026

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल,
सोन भवन, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0/49/2020/ पटना, दिनांक– /10/2026

प्रतिलिपि– सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल,
सोन भवन, पटना।

ज्ञापांक– क0क्षे0वि0अं0/49/2020/190 पटना, दिनांक–13/10/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

13/10/2026
(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियंता,
कमांड क्षेत्र विकास अंचल,
सोन भवन, पटना।
13/10/26